451
29.9.15

संख्या: 2618 / 33–3–2015–10जीआई / 2015

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक: 29 सितम्बर, 2015

विषयः ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु मार्ग निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 11015 / 123 / 2015–पी0बी0, दिनांक: 28 मई, 2015 एवं 30.07.2015 के द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्रान्तर्गत पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने एवं 14 वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, एम0जी0एन0आर0ई0जी0एस0, स्वयं के संसाधनों इत्यादि का अभिसरण (कन्वर्जेन्स) कर ग्राम पंचायतों में संसाधनों की उपलब्धता बेहतर करने पर बल दिया गया है।

(3192)
उप निदेशक (पं0)(एम0)

जैसा कि आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 'क' में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्राविधान है।

निदेशक
29/9/15

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागी नियोजन द्वारा ग्राम पंचायत की क्षमताओं एवं संसाधनों का आकलन कर उनकी आवश्यकताओं के चिन्हीकरण एवं अनुभूत आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाना वांछित है, जिससे कि ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से पंचायत के सर्वांगीण विकास को लक्षित किया जा सके। सहभागी नियोजन से ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के रूप में न केवल विकसित होगा बल्कि विभिन्न स्रोतों / सेक्टर के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का स्थानीय उत्प्रेरण एवं क्रियान्वयन कर नागरिकों में सुविधा उपलब्ध कराये जाने का साधन बन सकेगी।

उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 2015–16 में रू. 3862.60 करोड़ की धनराशि विकास कार्यों के सम्पादन हेतु

Jaigovind Pandey

उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में हस्तान्तरित की जानी है। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों द्वारा ग्राम पंचायत में नियोजन एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा की गई है, ताकि मूलभूत सुविधाओं पर प्रभावी एवं सरल रूप में पहुँच बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त **14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार परफारमेन्स ग्रान्ट पाने के लिए अर्हता हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को स्वयं की आय को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना एक अनिवार्य शर्त है,** इसलिए पंचायतों को स्वयं की आय के स्रोतों को बढ़ाने के अन्य प्रभावी रास्ते तलाशने होंगे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जानी है।

1— **ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता—**

वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने पर बल नहीं दिया जा रहा है एवं न ही पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही हे। सहयोगी विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत मात्र विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही है, अतः पंचायत स्तर पर परस्पर समन्वय के अभाव में पंचायतों के समग्र विकास की अवधारणा की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों का न केवल विजन स्पष्ट होगा अपितु समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी तैयार होगा, जिससे पंचायतों का सार्वांगीण विकास हो सके। अतः यह आवश्यक हो गया है कि पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाये, जोकि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) पर आधारित हो।

2— **ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य—**

1. ग्राम पंचायत का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी सम्मिलित है।
2. निर्णय लेने की प्रकिया का विकेन्द्रीकरण से तात्पर्य समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण।
4. सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना।
5. ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों यथा—निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए

अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है।

3– योजना के महत्वपूर्ण घटक–

73 संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947 यथा संशोधित 1994 के अन्तर्गत उल्लिखित ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्यों/उत्तरदायित्वों में से निम्नलिखित कार्यों/उत्तरदायित्वों का प्रतिनिधायन किया गया है :–

1. ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रख–रखाव।
2. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
3. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह का भोजन
4. ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का परिचालन तथा रख–रखाव।
5. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।
6. श्रेणी 'द' के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण।
7. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम यथा पेंशन आदि हेतु लाभार्थियों का चयन।
8. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण।
9. पंचायत क्षेत्र में सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।
10. ग्रामीण पुस्तकालय।
11. ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम।
12. ग्रामीण आवास योजनायें–लाभार्थियों का चयन।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन।
14. लघु सिंचाई–लाभार्थियों का चयन।
15. ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।

ग्राम पंचायत विकास योजना के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जायेगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करते हुए सुविधाओं का समुचित वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात् ही अन्य कार्यों यथा पुस्तकालय की स्थापना, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समितियों का अनुरक्षण तथा आपदा प्रबन्धन को सम्मिलित किया जायेगा। समस्त

कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार एवं अन्ततः मानव विकास सूचकांक भी बेहतर हो सकेगा।

4— **ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु संसाधनों का निर्धारण—**

ग्राम पंचायत विकास योजना में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उल्लेख निम्न प्रकार से रहेगा –

(क) स्वयं के स्रोत/संसाधन (कर आदि)

(ख) केन्द्रीय अनुदान

(ग) राज्य अनुदान

(घ) स्वैच्छिक अनुदान

(ङ) केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाएं।

ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन हेतु निम्नालिखित केन्द्रीय तथा राज्य की योजना के वित्तीय एवं मानव संसाधन का अभिसरण किया जाएगाः—

1. केन्द्रीय वित्त आयोग
2. राज्य वित्त आयोग
3. मनरेगा
4. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)
5. अंत्येष्टि स्थलों का विकास
6. पंचायत भवनों का निर्माण
7. एन0आर0एल0एम0

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के कर्मचारी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में आपेक्षित योगदान देंगें एवं उपरोक्त के संदर्भ में सम्बन्धित विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

5— **ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया**

क) **जन उन्मुखीकरणः—** योजना बनाये जाने के लिए जन सामान्य की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः विभिन्न आई0ई0सी0 गतिविधियों एवं सूचना प्रसारण माध्यमों से उपयुक्त वातावरण का निर्माण एवं जन उन्मुखीकरण के माध्यम से जन सहभागिता किया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा।

ख) **संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन**– सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनकी योजना बनाये जाने में भूमिका होगी, को पंचायती राज विभाग द्वारा संवेदीकरण एवं क्षमता संर्वधन किया जायेगा।

ग) **प्रारम्भ में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन**– प्रारम्भिक स्थिति में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाये जाने की आवश्यकता, ग्राम पंचायत के पास संसाधन की उपलब्धता एवं पारिस्थितिक विश्लेषण इत्त्यादि के संबंध में ग्राम सभा को बताया जाना होगा।

घ) **पारिस्थितिक विश्लेषण**– पारिस्थितिक विश्लेषण के लिए ग्राम पंचायत स्तर के सहयोगी आंकड़े के साथ–साथ प्रारम्भिक आंकड़ों को विभिन्न माध्यमों से जैसे पी0आर0ए0 टूल्स, सर्वे इत्यादि से आंकड़े एकत्रित कर पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाना होगा। पारिस्थितिक विश्लेषण की ड्राफ्ट रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष विमर्श/चर्चा के लिए रखी जायेगी साथ ही साथ यह रिपोर्ट स्वयं सहायता समूहों, विशेषज्ञों इत्यादि को भी सलाह हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है इसके उपरान्त परिस्थितिक विशलेषण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जायेगा।

ङ) **कार्यो का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना**– पारिस्थितिक विश्लेषण रिपोर्ट को ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही साथ ग्राम सभा की बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यो का चिन्हीकरण किया जायेगा। ग्राम सभा को पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी दी जायेगी इसके उपरान्त जन सामान्य की आवश्कताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा पारिस्थितिक विशलेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण किया जायेगा।

कार्यो का प्राथमिकीकरण के उपरान्त ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप एवं क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप की सहायता से कार्यो का परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

च) **ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाना**– परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के उपरान्त ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समित द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखा जायेगा। ग्राम पंचायतें पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी।

छ) **ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना–** ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जायेगा।

6) **ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु जनपद स्तर पर जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति–**

ग्राम पंचायत विकास योजना नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वयन समिति होगी, जोकि ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण की कार्यकारी समिति होगी। समिति की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। समिति में निम्न सदस्य होंगे–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	सदस्य
7.	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	सदस्य
8.	जिला अल्पसंख्यक अधिकारी	सदस्य
9.	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
10.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11.	अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
12.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
13.	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत	सदस्य
14.	अधिशासी अभियन्ता, सिचाई	सदस्य
15.	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	सदस्य
16.	उपनिदेशक, कृषि प्रसार	सदस्य
17.	जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.	सदस्य
18.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
19.	जिला पंचायत राज अधिकारी / सचिव	सदस्य

20. डी0पी0आर0ओ0 / जिलाधिकारी द्वारा दो नामित प्रधान एवं एक ब्लाक प्रमुख सदस्य

7) ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप–क्लस्टर स्तर पर

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या की तुलना में पंचायत सचिवों एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता में काफी अन्तर होने के कारण 10–10 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर तैयार किया जायेगा, प्रत्येक क्लस्टर का एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जिसकी देखरेख में क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी।

8) परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये परियोजना / कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मार्गनिर्देशिका में अध्याय–7 'तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति में दिये गये निर्देशों के अनुसार ली जायेगी।

9) योजना बनाये जाने की प्रकिया एवं योजना मे लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस साफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) में अपलोड किया जायेगा तथा एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपलोड किया जाना होगा।

योजना बनाये जाने की प्रकिया का शत् प्रतिशत निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी द्वारा 03 माह में, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत, मण्डलीय उप निदेशक पंचायत द्वारा 05 प्रतिशत, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 02 प्रतिशत तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचाायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जायेगा।

10) वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों को पारिस्थितिकी विश्लेषण, कार्यशाला, क्षमता संवर्धन इत्यादि कार्य किया जाना होगा अतः इस हेतु वांछित धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मद में भी धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने में सहायता होगी। इस धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा।

Jaigovind Pandey

कृपया दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– /33–3/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु

1. श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
15. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
18. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,

Jaigovind Pandey

कृपया दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-2618(1) /33-3/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
15. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
18. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,

Jaigovind Pandey

ग्राम पंचायत विकास योजना

मार्ग निर्देशिका 2015–16

1 ग्राम पंचायत विकास योजना– एक परिचय 3

1) पृष्ठभूमि 3

2) योजना की आवश्यकता 4

3) योजना का उद्देश्य 5

4) योजना के महत्वपूर्ण घटक 5

2 ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स इनवलप का निर्धारण 8

1) मानव संसाधन 8

2) वित्तीय संसाधन 10

12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि 11

3) ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना 12

4) पंचायतों के स्वयं की आय के श्रोत 13

5) लागत रहित विकास 14

3 सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण 15

1) सहभागी नियोजन के उद्देश्य 15

2) वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियॉ 15

4 पारिस्थितिक विश्लेषण एवं सहभागी नियोजन 18

5 आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना 27

	1) प्राथमिकीकरण	27
	2) परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना	28
6	ग्राम पंचायत विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जाना	30
7	तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति	33
8	योजना उपरान्त प्रबन्धन	34
9	नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम	35
10	परिशिष्ट–(क)	37
11	परिशिष्ट–ख	40

1 ग्राम पंचायत विकास योजना– एक परिचय

1) पृष्ठभूमि

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी अधिकांशतः ग्राम पंचायतों की है। हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की भूमिका और कार्य पूर्णतः स्पष्ट हैं. जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन इकाई है। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी इस भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से किया गया है। किंतु ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार कार्य लिये जाते रहे है, किसी एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसाधनों का आंकलन कर वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की जाती है। फलस्वरूप जहॉ एक ओर संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाया है वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के समग्र विकास को भी लक्षित नहीं किया जा सका है।

प्रदेश में पूर्व से ही विकेन्द्रित नियोजन की कार्यवाही भी प्रचलित है जिसमें ग्राम पंचायत की सक्रिय भागीदारी सुनश्चित करते हुये उसे अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। **संयुक्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 "क" में ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्राविधान है।** 14 वें वित आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विकेन्द्रित नियोजन की प्रकिया को अपनाते हुये ग्राम पंचायत विकास योजना बनाया जाना आवश्यक है. ग्राम पंचायत विकास योजना का केन्द्र ग्राम पंचायत का समग्र विकास होगा जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास सम्मिलित रहेगा बल्कि सामाजिक, आर्थिक, एवं वैयक्तिक विकास भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग होगें। ग्राम पंचायत स्तरपर नियोजन की यह प्रक्रिया विकेन्द्रित नियोजन के लिये अपनायी जाएगी, जो वर्तमान प्रकिया से अपने स्वरूप में भिन्न होगी। नवीन प्रकिया में सहभागिता को मुख्यतः लक्षित किया गया है, साथ ही ग्राम पंचायत को दिये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता भी नियत करनी होगी।

➢ 14वां वित्त आयोग

यहॉ यह भी उल्लेखनीय करना आवश्यक है कि 14वें वित आयोग के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–2020 तक रू0 35,775 करोड़ से भी अधिक धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है अतः ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण एवं कियान्वयन किया जाना आवश्यक है, जिससे पंचायत को सशक्त बनाने में बल मिलेगा, जनता को बेहतर एवं सुचारू रूप से सेवाएं दी जा सकेंगी।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों द्वारा ग्राम पंचायत में नियोजन एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा की गयी है, ताकि आधारभूत सुविधायें प्रभावी एवं सरल रूप में पहुंचाई जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, परफारमेन्स ग्रान्ट पाने के लिए निर्धारित शर्तों में ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना अनिवार्य होगा, इसलिए पंचायतों को स्वयं की आय के स्रोतों को बढ़ाये जाने हेतु प्रभावी रास्ते खोजने होंगे। इसके अतिरिक्त **MGNREGA** के अन्तर्गत भी ग्राम पंचायतों को लगभग 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष प्रति ग्राम पंचायत को मिल रहे हैं। अतः उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन एवं प्रभावी कियान्वयन परमावश्यक है।

➢ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

चतुर्थ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015–16 में रू0 2035 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है, जिसे कि पंचायतों के समग्र विकास हेतु व्यय किया जायेगा। राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 40:10:50 के अनुपात में किया जायेगा। अतः ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय तथा राज्य वित्त आयोग से पर्याप्त धनराशि 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त होगी जिसको कि समग्र ग्राम विकास हेतु उपयोग करना ग्राम पंचायतों का दायित्व होगा।

2) योजना की आवश्यकता

वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने पर बल नहीं दिया जा रहा था, एवं सहयोगी विभागों द्वारा ग्राम

पंचायतों के विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों से पृथक–पृथक विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही थी, किन्तु पंचायत स्तर पर आपसी समन्वय के अभाव में पंचायत का समग्र विकास नहीं हो पा रहा था।

अतः ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से **ग्राम पंचायतों द्वारा दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी** जोकि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित होगी।

3) योजना का उद्देश्य

- ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी सम्मिलित है।
- निर्णय लेने की प्रकिया का विकेन्द्रीकरण के साथ समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण।
- सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों यथा–निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है।

4) योजना के महत्वपूर्ण घटक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्यों/उत्तरदायित्वों का हस्तान्तरण किया गया है :–

1. ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रख–रखाव।
2. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
3. मध्यान्ह भोजन
4. ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का परिचालन तथा रख–रखाव।

5. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।
6. श्रेणी 'द' के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण।
7. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम यथा पेंशन आदि हेतु लाभार्थियों का चयन।
8. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण।
9. पंचायत क्षेत्र में सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।
10. ग्रामीण पुस्तकालय।
11. ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम।
12. ग्रामीण आवास योजनायें–लाभार्थियों का चयन।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन।
14. लघु सिंचाई–लाभार्थियों का चयन।
15. ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।

ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में यह व्यवस्था की जायेगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकाता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करते हुए सुविधाओं का समुचित वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात् ही अन्य कार्यों यथा पुस्तकालय, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समितियों, आपदा प्रबन्धन को सम्मिलित किया जायेगा। समस्त कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार एवं मानव विकास सूचकांक को भी बेहतर करेगा।

संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 के अनुक्रम में तथा भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ग्राम पंचायतें प्रत्येक वर्ष, दीर्घ कालीन विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत **14वें वित्त आयोग,. राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, एन.आर.एल. एम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत भवन निर्माण,**

अंत्येष्टि स्थलों का विकास तथा ग्राम पंचायत की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए उपलब्ध वित्तीय एवं मानव संसाधनों का अभिसरण (कनवर्जेन्स) किया जायेगा।

ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष मिलने वाली योजनावार धनराशि पूर्णतः स्पष्ट होगी जिसकी जानकारी पूर्व से ही ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना पूर्णतः ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार होगी। यह विकास योजना ग्राम पंचायत के समग्र विकास के लिये तैयार की जायेगी। जिसका क्रियान्वयन किया जाना ग्राम पंचायत के लिये अनिवार्य होगा।

ग्राम पंचायत को योजना बनाने के संबध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम पंचायत को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का गठंन क्लस्टर स्तर पर किया जाना है। 10 ग्राम पंचायतों के समूह को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जायेगा, जो कि एक समन्वयक इकाई की तरह कार्य करेगा और क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों को योजना बनाने में सहयोग प्रदान करेंगी। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक क्लस्टर पर एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किया जायेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने एवं उससे संबंधित कार्य करने हेतु विभिन्न स्तर पर समितियों एवं ग्रुपों का गठन किया जायेगा जिसका विवरण परिशिष्ट–क पर संलग्न है।

2 ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स इनवलप का निर्धारण

ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का आंकलन किया जायेगा। ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधनों का आंकलन मुख्य रूप से किया जायेगा।

किसी भी देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर ही निर्भर नहीं करता अपितु अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय केवल राज्य द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से जैसे सहकारी समितियां, वित्तीय स्वायत्तशासी संस्थायें, लोगों की निजी पूंजी आदि स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का भी आंकलन किया जाना चाहिए।

पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं भावी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखने से यह अनुमान लगाना सम्भव हो सकेगा कि उनके आधार पर संचालित किये जाने वाले आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों को भी योजना में सम्मिलित किया जाना है।

मानव संसाधन के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों एवं अन्य मानव संसाधन जैसे एस.एच.जी., सेवानिवृत्त कर्मचारी इत्यादि का भी सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने एवं क्रियान्वयन में योगदान लिया जाना।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में उपलब्ध मानव संसाधन निम्नवत् हैं:–

1) मानव संसाधन

(क) मानव संसाधन–पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारीगण

क्र.सं.	प्रति 12 ग्राम पंचायत के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र

1.	सचिव	पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास	2	ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य
2.	सफाईकर्मी	पंचायती राज	18	स्वच्छता
3.	रोजगार सेवक (संविदा पर)	ग्राम्य विकास	10	MGNREGA के अन्तर्गत आने वाले कार्य
4.	एन0आर0एल0एम0			योजना में उपलब्ध संसाधन

(ख) अन्य विभागों के कर्मचारी जो ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं :–

क्र. स.	प्रति 12 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र
1.	ए.एन.एम.	स्वास्थ्य	12	स्वास्थ्य सम्बन्धी
2.	आशा (संविदा पर)	स्वास्थ्य	12	स्वास्थ्य सम्बन्धी
3.	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	आई.सी.डी.एस.	24	बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता
4.	तकनीकी सहायक (संविदा पर)	ग्राम्य विकास	1.5	MGNREGA
5.	एल.ई.ओ.	पशुपालन	1	पशुपालन
6.	साक्षरता प्रेरक	साक्षरता एवं वैयक्तिक शिक्षा	12	वयस्क साक्षर

मानव संसाधन के उपरान्त ग्राम पंचायतों के पास दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन वित्तीय संसाधन है जो निम्नवत् हैः–

2) वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है।

- स्वयं के संसाधन से (कर आदि लगाये जाने से प्राप्त धनराशि)
- चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि
- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि
- राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि
- अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि
- C.C Road एवं K.C Drain योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि
- निजी पूँजी से प्राप्त धनराशि
- पंचायत घर निर्माण
- अन्य संसाधन यदि कोई हो

वर्ष 2015–16 में उपलब्ध होने वाली धनराशिः–

❖ <u>टाइड फण्ड</u>

- स्वच्छ भारत मिशन–1533.00 करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए
- पंचायत भवन– रू0 20.53 करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए (चिन्हित ग्राम पंचायतों को)
- अन्त्येष्टि स्थलों का विकास– रू0 100 करोड़ सम्पूर्ण राज्य में चयनित ग्राम पंचायतों के लिए

- सी0सी0 रोड़ व के0सी0 ड्रेन नाली–450.00 करोड़ डा. राम मनोहर लोहिया ग्रामों के लिए

12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि–

योजना का नाम	प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष	प्रति ग्राम पंचायत प्रत्येक पॉच वर्ष में
एस0बी0एम0	15 लाख अनुमानित	75 लाख
पंचायत भवन (चयतिन ग्राम पंचायत हेतु)	20.53 करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए	102.65 करोड़ पूरे राज्य के लिए

❖ **अनटाइड फण्ड**

- चौदहवें वित आयोग– रू0 6.54 लाख प्रति ग्राम पंचायत, रू0 448 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष
- राज्य वित्त आयोग– रू0 4.19 लाख औसतन प्रति ग्राम पंचायत।
- राजस्व से प्राप्तियां (कर व गैर कर)– ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- सी0एस0आर0 गतिविधियॉ– इस मद में राज्य जिला प्रशासन तथा पंचायतों के प्रयासों से प्राप्त धनराशि।
- बी0एच0एस0जी0 फण्ड– रू0 10000.00 प्रति ग्राम पंचायत।
- मनरेगा– रू0 438005.54 लाख वर्ष 2015–16 में सम्पूर्ण प्रदेश के लिए

12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि

मद का नाम	प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष	प्रति ग्राम पंचायत पॉच वर्ष
चौदहवाँ वित्त आयोग	6.54 लाख	32.70 लाख
राज्य वित्त आयोग	4.19 लाख	20.95 लाख
बी0एच0एस0जी0	0.10 लाख	00.50 लाख
मनरेगा	10 लाख	50 लाख

3) ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना

- राज्य पी0आर0 पोर्टल व जनपद की सरकारी वेबसाइट पर उपर्युक्त सूचना को अपलोड किया जायेगा।
- प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी (पं0) को ई–मेल के द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जायेगी, जो वे पंचायत सचिवों को उपलब्ध करायेंगे। पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे।
- समस्त विभागों के स्तर से सभी जनपदों को शासनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके माध्यम से 14वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं समस्त योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का विवरण ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा।
- ग्राम ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यिादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा नीचे दिये गये प्रारूप पर उपलब्ध मानव/वित्तीय संसाधनों का विवरण संकलित किया जायेगाः–

क्र.सं.	योजना/संसाधन का नाम	वर्ष 2015–16		टिप्पणी
क	ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय / मानव संसाधन	मानव संसाधन	वित्तीय संसाधन	
1	स्वयं के आय के श्रोत (OSR)			
2	14वां वित्त आयोग			
3	चतुर्थ वित्त आयोग			
4	मनरेगा			
5	शून्य लागत की पहल			
6	एनआरएलएम			
7	स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)			

8	एनआरएचएम			
9	सर्व शिक्षा अभियान			
10	महिला एवं बाल विकास			
11	पशुपालन			
12	वनविभाग			
13	अन्त्येष्टि स्थलों का विकास			
14	राम मनोहर लोहिया समग्र विकास–सी0सी0रोड/के0सी0 ड्रेन			
15	अन्य			
ख	संरचनात्मक संसाधन			
1	पंचायत भवन			
2	आगंनवाड़ी केन्द्र			
3	अन्य			
ग	अन्य संसाधन			
1	डेस्ट टाप कम्प्यूटर प्रिन्टर			
2	इन्टरनेट सुविधा			
3	एनआईसी/सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के उपलब्ध संसाधन			
4	द्वितीय/सहयोगी आंकड़ों के श्रोत–जनगणना 2011 सांख्यिकीय विभाग के आंकड़े ग्रामीण आर्थिक एवं सांख्यिकीय बुलेटिन			

4) पंचायतों के स्वयं की आय के श्रोत

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2016–17 से दिये जाने वाले परफारमेन्श ग्रान्ट हेतु अपने स्वयं के आय के श्रोतों को प्रतिवर्ष बढ़ाना अनिवार्य किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पंचायतों को स्वयं के आय के श्रोतों को बढ़ाये जाने हेतु अन्य

प्रभावी रास्ते खेजने होंगे। साथ–साथ ग्राम पंचायतों को यह अवसर मिलेगा है कि वे विभिन्न संसाधन क्षेत्रों को चिन्हित करे सके। इस प्रयास से पंचायतों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होगें पंचायतें आत्म निर्भर बनेगी एवं समुदाय के आय के श्रोत बढ़ेगें। लोगों में जिम्मेदारी का भाव आने के साथ–साथ पंचायतों का राजस्व बढ़ेगा, तथा वे परिसम्पतियों का संचालन एवं रख–रखाव स्वतः कर सकेगी।

5) लागत रहित विकास

ग्राम पंचायतों में विकास हेतु यह जरूरी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा पंचायत के स्वयं के राजस्व के अतिरिक्त ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाय जो बिना लागत के किये जा सकते हैं। यह कार्य स्वैच्छिक सेवायें, एवं संस्थाएं, चंदा, समुदायिक योगदान, कॉरपोरेट सोशल रिपान्सेबिलटी के माध्यम से किया जा सकता है। इसके तहत नकद, सामान तथा श्रम/दान को सम्मिलित किया जाये।

3 सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण

सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किये जाने के लिए उचित वातावरण बनाना अत्यन्त आवश्यक है। उचित वातावरण निर्माण के लिए प्रचार–प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य से लेकर ग्राम पंचायत के स्तर तक वातावरण निर्माण किया जाना होगा। हर एक स्तर पर वातावरण निर्माण की अलग–अलग रणनीति तैयार किया जाना उचित होगा।

1) सहभागी नियोजन के उद्देश्य

- नियोजन की प्रक्रिया का आरम्भ जमीनी स्तर से हो
- विकास योजना स्थानीय स्तर पर मौजूद सांसाधनों के आधार पर हो
- इस विकास प्रकिया में स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ ग्राम पंचायत, युवा, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, धार्मिक प्रतिनिधियों इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- इस पूरी प्रकिया में निर्णय लेने का अधिकार समुदाय का हो न कि अन्य किसी का।

2) वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियॉ

सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किये जाने के लिए उचित वातावरण निर्माण हेतु निम्नलिखित गतिविधियॉ की जा सकती हैं–

- मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण इन्जीनियरिंग विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सहकारिता विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार के साथ–साथ जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उपनिदेशक(पं0), अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतिभागी होंगे।कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव,

पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। कार्यशाला में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों एवं संदर्भ व्यक्तियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा।

- माननीय मंत्री पंचायतीराज के स्तर से सभी स्थानीय निकायों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में अवगत कराते हुए पत्र लिखा जाना।
- राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज विभाग एवं राज्य सूचना विभाग के द्वारा किया जायेगा जिससे कि मीडिया को भी वातावरण निर्माण हेतु सहभागी बनाया जा सके।
- उक्त के अतिरिक्त जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिला स्तरीय कार्यशाला में संबंधित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, समस्त ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, संबंधित विभाग के विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारीद्वारा की जायेगी। विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में ग्राम पंचायत स्तरीय नियोजन एवं विकास समिति के 2 सदस्य, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए0एन0एम0, आशा, रोजगार सेवक, युवक मंगल दल के अध्यक्ष प्रतिभागी होंगे व अध्यक्षता एस0डी0एम0 द्वारा की जायेगी। पृथक से साप्ताहिक प्रशासनिक ओर रिव्यू मीटिंग भी ब्लाक स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
- ग्राम पंचायत स्तर परयुवक मंगल दल/पंचायती राज विभाग द्वारा दीवार लेखन का कार्य किया जायेगा।
- विकास खण्ड स्तर से निर्धारित तिथि पर ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक का आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी वार्ड सदस्यों, ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष तथा अन्य वालेन्टियर बैठक में प्रतिभाग करेंगें जिसमें ग्राम पंचायत व जिला पंचायत स्तर की योजना बनाने हेतु संबंधित गतिविधियॉ और जिम्मेदारियों पर चर्चा की जायेगी।
- ग्राम पंचायत सदस्यों और अन्य ग्राम वासियों द्वारा ग्राम के मजरों में पद यात्रा/रैली करना। यदि ग्राम पंचायत में मजरों की संख्या 3 से अधिक है तो 3 मजरों में कार्य ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा तथा बाकी बचे मजरों की जिम्मेदारी सदस्यों को प्रधान और सचिव की सहमति से दी जायेगी।

- वार्ड सदस्यों द्वारा स्वयं के वार्ड में बैठक का आयोजन किया जायेगा जिससे वातावरण का निर्माण हो और ग्रामीणों को ग्राम सभा की बैठक एवं ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने में सक्रिय भागीदारी हेतु संवेदित किया जा सके। वार्ड सभा की बैठक का आयोजन करने के लिए वार्ड सदस्य द्वारा किसी स्थायी/अस्थायी/स्वंय सहायता समूह/युवक मंगल दल की मदद ली जा सकती है।
- वार्ड सदस्यों द्वारा वार्ड में रहने वाले लोगों की अपेक्षाओं, जरूरतों और मांगों को निर्धारित प्रारूप पर इकट्ठा किया जायेगा और जानकारी को ग्राम पंचायत सचिव को नियोजन एवं विकास समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिया जायेगा तत्पश्चात किसी मॉग को हटाये बिना उन्हें छांटने और विश्लेषण करने के पश्चात् ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी के सम्मिलित हस्ताक्षर से पत्र द्वारा ग्राम प्रधानों और कर्मियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में जागृत किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा चलचित्र के माध्यम से फिल्म दिखाकर वातावरण का निर्माण किया जा सकता है।
- राज्य की परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रचार–प्रसार किया जा सकता है जिससे उचित वातावरण का निर्माण एवं जनमानस में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार किया जा सके।
- स्वंय सहायता समूह का सहयोग वातावरण निर्माण हेतु लिया जा सकता है।

4 पारिस्थितिक विश्लेषण एवं सहभागी नियोजन

ग्राम पंचायत की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाय जिसके आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु कार्यों का निर्धारण किया जाये।

पारिस्थितिक विश्लेषण के लिए ग्राम पंचायत स्तर के सहयोगी आंकड़े के साथ–साथ प्रारम्भिक आंकड़ों को विभिन्न माध्यमों से जैसे पी0आर0ए0 टूल्स, सर्वे इत्यादि से आंकड़े इक्ट्ठा कर पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाना होगा। परिस्थितिक विश्लेषण की रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष सलाह के लिए रखी जायेगी साथ ही साथ यह रिपोर्ट स्वयं सहायता समूहों, विशेषज्ञों से भी सलाह हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है इसके उपरान्त परिस्थितिक विश्लेषण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जायेगा।

पारिस्थितिक विश्लेषण को तैयार करने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है:–

1. प्राथमिक आंकडे
2. द्वितीय/सहयोगी आंकडे

1. प्राथमिक आंकडें (Primary data)

प्राथमिक आंकडों के संकलन हेतु सहभागी नियोजन की प्रक्रिया अपनाते हुए पी0आर0ए0 (सहभागी ग्रामीण आंकलन) पद्धति का उपयोग किया जायेगा। पी0आर0ए0 ग्रामीणों की महत्वपूर्ण समस्यायें एवं निराकरण की संभावनाओं को शीघ्रतम ज्ञात करने हेतु यह एक अनौपचारिक तरीका है। प्राथमिक आंकडों के सेकलन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों को उपयोग किया जा सकता है:–

1. क्षेत्र भ्रमण
2. सामाजिक मानचित्र
2. संसाधन मानचित्रण
3. ऋतु आधारित परिवर्तन चित्रण
4. चपाती चित्रण
5. मैट्रिक्स क्रमांकन

6. आर्थिक वर्गीकरण
7. सेवायें / उपलब्धता / अवसर मानचित्रण
8. समय रेखा
9. खुली समूह चर्चा

ग्राम पंचायतों द्वारा प्राथमिक आकड़ों निम्नावत् चिन्हित किया जायेगाः–

- प्रारम्भिक आंकड़ें (Primary data)
  - ➢ संसाधन मानचित्रीकरण
  - ➢ सामाजिक मानचित्रीकरण
  - ➢ स्वयं सहायकता समूहों की संख्या
- वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड सदस्यों द्वारा मांग पत्र / आवश्यकतायें।
- स्वास्थ्य सम्बन्धित आंकडें जैसे आई0एम0आर0, एम0एम0आर0, कुपोषण, ए0एन0एम0 द्वारा उपलब्ध आंकड़ें।
- कृषि और पशु–पालन की जरूरतों की सूची।
- वार्ड सभा और ग्राम सभा के दौरान वांछित समुदायों जैसे अनुसूचित जाति / जनजाति की सहायता के लिए चिन्हित आवश्यकतायें।

2. द्वितीय / सहयोगी आंकडे (Secondary Data)

- जनगणना और सांख्यकीय विभाग के आंकड़े
- एस0ई0सी0सी0 आंकड़े
- ग्रामीण आर्थिक और सांख्यीकीय बुलेटिन
- अन्य शासकीय सर्वे रिपोर्ट

उपरोक्त प्राथमिक एवं सहयोगी आंकड़ों का आंकलन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित सेवाओं का परिस्थितीय विश्लेषण किया जाना आवश्यक होगा–

➢ क्षेत्र–1–आधारभूत सेवाओं का पारिस्थितिक विश्लेषण

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
पेयजल व्यवस्था	पंयजल के स्रोत व संख्या (हैडपम्प, कुऑ, तलाब, पाइप वाटर सप्लाई आदि)		
स्वच्छता	• शौचालयों की संख्या– व्यक्तिगत / सामुदायिक / स्कूल • साफ–सफाई की व्यवस्था • कूड़ा–कचरा निपटान • ठोस / तरल पदार्थों का प्रबन्धन		
प्रकाश व्यवस्था	बिजली के पोलों की संख्या, रख–रखाव, घरेलू बिजली का बिल भुगतान		
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	• राशन कार्डों की श्रेणी एवं संख्या • राशन की दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था		
अंत्येष्टि स्थलों / कब्रिस्तानों का विकास			
शिक्षा	• स्कूलों की संख्या व प्रकार • शिक्षकों की संख्या व		

	उपलब्धता • ड्रापआउट की स्थिति / कारण • मध्यांहन भोजन की व्यवस्था		
पार्क का रख–रखाव	पार्क की व्यवस्था		
नागरिक सेवायें	जन्म / मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर कॉपी, विवाह रजिस्ट्रेशन आदि		
लाईब्रेरी रख–रखाव			
युवाओं को खेल और स्वास्थ्य विकास में सहायता			
स्वास्थ्य	• प्राथमिक / सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता • टीकाकरण एवं दवाइयों की उपलब्धता– गर्भवती महिलाओं / नवजात शिशुओं • स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प • बाल जन्म / मृत्यु दर • कुपोषण • मौसमी बीमारियॉ, महामारी आदि • नशावृति		